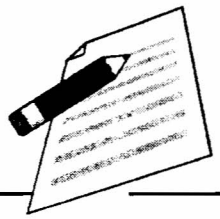Notes

34

महिलाओं की समस्याएँ

मनुष्य जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। लेकिन क्या आप यह सोचते हैं कि स्त्रियों को अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में परिवार और समाज में अनेक विशिष्ट समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। पिछले पाठ में आपने पढ़ा है कि स्त्रियों को किस भाँति लैंगिक भेदभाव के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समस्या को हम इस भाँति परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें तकलीफों का स्त्रोत निहित होता है, असुविधाएँ होती हैं और एक व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समस्या एक ऐसी स्थिति भी है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में या कानून ने जो अधिकार उसे दिये हैं उनका वरण नहीं कर सकता। संक्षेप में, समस्या वह स्थिति है जिससे हमारे ज्ञान की कमी का आभास मिलता है।

कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जिनका सामना पुरुष और स्त्री दोनों को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, इनकी मार पुरुष और स्त्री दोनों को सहनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिये, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य ये पुरुष और स्त्री दोनों ही की समस्याएँ हैं लेकिन कुछ समस्याएँ ऐसी भी होती हैं जो केवल स्त्रियों को ही उठानी पड़ती हैं क्योंकि विभिन्न संस्थाओं में उन्हें लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके दृष्टान्तों में हम भ्रूणहत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन प्रताड़ना, वैधव्य आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। ये समस्याएँ इस कारण हैं कि स्त्रियों के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंसा का व्यवहार किया जाता है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ लेने के बाद आप जान जायेंगे कि:

- वे समस्याएँ कौन सी हैं जिनसे भारत में स्त्रियों को अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जूझना पड़ता है।
- वे कारक कौन से हैं जिनके कारण स्त्रियों को समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है।
- वे समस्याएँ कितनी गंभीर हैं जिससे भ्रूण हत्या, स्त्री शिशुहत्या और घरेलू हिंसा होती हैं और स्त्रियाँ जिनकी शिकार होती हैं।
- यह देखना कि दहेज की समस्या कितनी गंभीर है और इसका मुकाबला करने के लिये किस भाँति स्त्रियाँ जूझ रही हैं।
- यौन उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों का विश्लेषण करना और स्त्रियों को इसके कौन-कौन दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं?
- विधवाओं के शोषण और इससे जनित समस्याओं का वे किस तरह मुकाबला करती है।

अब हम इन सभी समस्याओं का विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे।

34.1 बालिका भ्रूण हत्या

क्या आप यह जानते हैं कि पैदा होने से पहले ही स्त्रियों साथ भेदभाव किया जाता है। यद्यपि संविधान ने पुरुष और स्त्री पर यह पाबन्दी लगायी है कि वे लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव न करें। फिर भी कई शिशु ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही भेदभाव का शिकार बनना पड़ता है। प्रतिवर्ष हजारों बच्चे तभी मार दिये जाते हैं जब वे माँ की कोख में ही होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तभी सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे के लिंग का पता लगा लिया जाता है और कई लोग गर्भपात करवा लेते हैं। स्त्री के भ्रूण की हत्या को बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। यह सही है कि गर्भपात के अधिनियम को भारत में 1971 में पारित किया गया था। इसमें यह प्रावधान है कि ऐसा गर्भपात चिकित्सासम्मत दशाओं में किया जाना चाहिये। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा किसी स्त्री-भ्रूण हत्या की स्वतन्त्रता नहीं है। बड़े शहरों में भ्रूण के लिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है लेकिन एक लम्बे समय के बाद देश के विभिन्न भागों में कई ऐसे क्लीनिक खुल गये हैं जो लिंग का पता लगा लेते हैं। टेलीविजन की खबरों के अनुसार महाराष्ट्र के कई गाँवों में पीने के लिये पानी तो नहीं

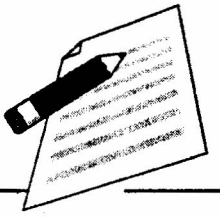

Notes

है लेकिन भ्रूण के लिंग को जानने व गर्भपात करने के लिये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अक्सर इन क्लीनिकों में जो दशाएँ हैं वे स्वास्थ्य परक नहीं है। यह सब होते हुए भी माता-पिता और परिवार बिना पैदा हुई लड़कियों से छुटकारा पाने के लिये तैयार रहते हैं।

यह क्या कारण है कि बिना पैदा हुई लड़कियों को माता पिता मार देते हैं? अपने इस कार्य को वे उचित ठहराकर कहते हैं कि एक लड़की का जन्म भविष्य में उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लाता है। यह इसलिये कि उन्हें दहेज की बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। भारत के पितृसत्तात्मक परिवार में लड़की के विवाह का खर्चा, प्रायः, माता-पिता द्वारा चुकाया जाता है। यह खर्चा उपहार द्वारा भी चुकाया जाता है। रुचिकर बात यह है कि दहेज का चुकाया जाना या उसकी माँग केवल एक बार ही नहीं होती। गरीब और समृद्ध घरों में दहेज प्रथा को स्त्रियों की हत्या का बहुत बड़ा कारण समझा जाता है। कई स्त्रियों का तर्क है कि जो कष्ट उन्होंने अपने स्वयं के दहेज के लिये उठाया उसे वे नहीं चाहते कि उनकी लड़कियाँ भी उठायें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वे स्वयं भी इस तरह की भ्रूण हत्या का कार्य अपने हाथों द्वारा करती हैं। इसमें ऐसी कितनी महिलाएँ होंगी जो भ्रूण हत्या करने के लिये तैयार न होती हों। वास्तव में आर्थिक दबाव इतने अधिक होते हैं कि उन्हें अपने पति या परिवार अथवा सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने के करण यह सब करना पड़ता है। इनके अभाव में ही स्त्रियाँ भ्रूण का गर्भपात कराने को तैयार हो जाती हैं। पूर्व नवजात-निरूपण-तकनीक अधिनियम 1994 में पारित हुआ था। आज भी इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। स्थिति यहाँ तक है कि न किसी डॉक्टर और न किसी माता-पिता को इसकी अवहेलना करने पर आज तक कोई दण्ड नहीं दिया गया। इस कानून को लागू करने वाली मशीनरियाँ इस बात से वाकिफ हैं कि ऐसे काम किन अस्पतालों में किये जाते हैं। फिर भी इन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती। इसका परिणाम यह है कि आज भी ये गतिविधियाँ बिना रोकटोक के चल रही हैं। लोग खुले आम भ्रूणहत्या करते हैं और कहते हैं: ''बाद में 50,000/-रूपए खर्च करने से तो फिलहाल 500 रूपए खर्च कीजिए।'' आज देश के अधिकांश भागों में लिंग का पता लगाने के लिये ऐसे क्लीनिक मौजूद हैं जो खुले आम इस धंधे को करते हैं और वे इसे गंभीर चुनौती नहीं मानते।

अगर स्त्री भ्रूण को मारना स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा का एक स्वरूप है तो इसका दूसरा स्वरूप बालिका शिशु हत्या है। बालिका शिशु की हत्या पैदा होते ही उसे मार दिये जाने से होती है।

34.2 बालिका शिशु हत्या

भारतीय समाज में प्रचलित बहुत बड़ा विश्वास यह रहा है कि बालिका शिशु की हत्या एक अमानवीय कार्य है। इसका प्रचलन केवल प्राचीन समय में था। लेकिन इस प्रकार की दयाहीन हत्याएं जो आज हमारे देश में हो रही हैं वे नई नहीं हैं। यह चलन आज भी जीवित है और आज की वास्तविकता है। हाल में कई हजार बालिका शिशु हत्याएँ होती हैं और उतनी ही तादात में जन्म होते ही बालिका को मार दिया जाता है। यह प्रथा गरीब घरों में अधिक होती है। बालिका भ्रूण-हत्या की तुलना में बालिका शिशुहत्या सरल है। पैदा होते ही बच्चे को कोई जहरीला खाद्य पदार्थ दे दिया जाता है या नवजात का गला घोंट दिया जाता है। समाचार पत्रों में बालिका शिशु हत्या के कई मामले प्रकाशित होते हैं। ये हत्याएँ तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान में अधिक होती हैं। आज भी इस तरह की प्रथा को रोकने का प्रयास सफल नहीं हुआ। पुलिस थानों के दफ्तर सारे देश में बिखरे हुए हैं लेकिन इन थानों ने ऐसी घटनाओं को होने से नहीं रोका है। क्या हमने किसी माता-पिता को ऐसा करने से रोका है जबकि यह कार्य किसी भी अर्थ में हत्या से कम नहीं है। माता-पिता एक ऐसी मन:स्थिति में पहुँच जाते हैं कि वे बिना पैदा हुए बच्चे के भ्रूण को या हाल में पैदा हुए बच्चे को मार डालते हैं? क्या यह केवल गरीबी के कारण ही है या अन्य कारणों से भी होता है? हमारा यह पुरुष प्रधान समाज सदियों से पुरुष शिशुओं को वरीयता देता आ रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि हम पुत्र को परिवार को नाम देने वाला मानते हैं। क्योंकि अधिकांश भारतीय परिवार पितृस्थानीय है। जिसमें कि विवाह के बाद लड़की को पति के यहाँ जाना पड़ता है। इसमें सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुरुषों के पक्ष में होता है। ऐसी अवस्था में लोग लड़की पर कोई खर्चा करना नहीं चाहते। उनका कहना है कि लड़की की शिक्षा-दीक्षा उनपर किया गया खर्च उन्हें प्राप्त नहीं होता। इस खर्च का लाभ तो लड़की के पति को मिलता है। लड़की के प्रति इस प्रकार की अभिवृत्ति लड़कियों की हत्या के कारण के रूप में देखने को मिलती है।

आपने कभी सोचा है कि बालिका शिशु-हत्या या बालिका भ्रूण-हत्या बहुत बड़े वे कारण हैं जिनकी वजह से लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही है। पिछले 10 वर्षों में पुरुषों के अनुपात में (0-6) स्त्रियों की संख्या कम है। सन् 1991 में 1000 पुरुषों की तुलना में हमारे यहाँ 945 स्त्रियाँ थीं। यदि यह दुष्कर्म रोका नहीं गया, तब आने वाले वर्षों में हमारे बीच से लाखों लड़कियाँ लुप्त हो जायेंगीं।

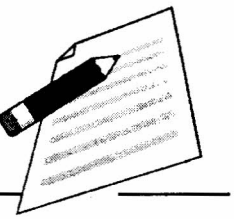

गुम हुई लाखों लड़कियाँ कहाँ हैं?

- यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लड़कियाँ हमारे बीच में नहीं रहतीं, वे लुप्त हो जाती हैं। इनमें वे शिशु बालिकाएँ भी शामिल हैं जिन्हें जन्म से पहले या पैदा होने के तुरन्त बाद मार दिया जाता है। इस समाज में लड़कों के जन्म को वरीयता दी जाती है जिसका एकदम परिणाम यह होता है कि स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाती है। इस प्रतिकूल लिंग अनुपात को 'लाखों गुमनाम' कहा जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने भ्रूणहत्या की है या जन्मलेने के तुरन्त बाद लड़कियों की हत्या की है उन्हें कठोर दण्ड देना चाहिये। महत्वपूर्ण यह है कि हमें गरीब घरों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिये और उन्हें पर्याप्त साधन देने चाहिये कि वे इन बच्चियों को पढ़ा सकें, उन्हें शक्ति देनी चाहिये न कि उनके जीवन को समाप्त कर देना चाहिये। इस बात की चेतना लोगों में लानी चाहिये कि बालिका शिशु हत्या एक बहुत बड़ा पाप है और हमें विभिन्न साधनों जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा और अखबारों से लोगों में ऐसा विश्वास पैदा करना चाहिये कि वे इस तरह की हत्या न करें।

पाठगत प्रश्न 34.1

रिक्त स्थानों को भरिये:

(1) लिंग वरण परीक्षण अधिनियम भारत में -------- में पारित हुआ।

(2) बालिका शिशु हत्या का मतलब है बालिका की हत्या जो-----पहले कर दी जाती है।

(3) 1000 पुरुष बच्चों पर(0-6) बालिका शिशु संख्या ------- है।

(4) स्त्रियों की निरन्तर गिरती हुई जनसंख्या को------कहते हैं।

34.3 घरेलू दुर्व्यवहार

घरेलू दुर्व्यवहार किसे कहते हैं?

औरतों के साथ दुर्व्यवहार घर या घर से बाहर कहीं भी घटित हो सकता है। सामान्यतया परिवार एक ऐसा सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है जहाँ स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता लेकिन स्त्रियों का यह भ्रम भी दूर हो जाता है जब उन्हें अपने मकान में ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा वह विनाशकारी कार्य है जो घर में स्त्री को आहत करता है या चोट या हानि पहुँचाता

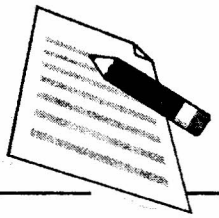

Notes

है। सामान्यतया घरेलू हिंसा का अभिप्राय मारपीट से होता है लेकिन दुर्व्यवहार में स्त्रियों को किसी अधिकार से वंचित करना भी सम्मिलित है। इस दृष्टान्त को देखिये तब आपकी समझ में आ जायेगा कि दुर्व्यवहार का तात्पर्य क्या है। लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता और उसे घर का काम करने के लिये बाध्य कर दिया जाता है। उसे पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता जबकि लड़के को बढ़िया से बढ़िया भोजन व शिक्षा दी जाती है और विकास के लिये समस्त सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं। इस दृष्टान्त में यद्यपि लड़की के साथ मारपीट नहीं की जाती और न इसमें गाली-गलोज होता है। होता यह है कि लड़की को जो अधिकार प्राप्त है, वह नहीं मिलते और इसलिये यह वंचिता है।

यह दिल हिला देने वाली बात है कि तीस प्रतिशत स्त्रियाँ घर में होने वाले दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। घरेलू दुर्व्यवहार जैसे कि पत्नी को पीटना, लड़कियों को गाली-गलोज करना, दहेज के लिये प्रताड़ित करना जिसका अन्त दहेज के कारण मृत्यु और स्त्री को घर से बाहर निकलने नहीं देना आदि शामिल हैं। घरेलू दुर्व्यवहार एक ऐसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो मौन की संस्कृति है और स्त्री कुछ भी बोलती नहीं है और सारे मसले को व्यक्तिगत कहकर टाल देती है। स्थिति यह भी होती है कि पास-पड़ौस के लोग भी इस दुर्व्यवहार को जानते हैं और यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह दूसरों का घरेलू मामला है और इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। देखा यहाँ तक गया है कि पुलिस भी इसे घरेलू हिंसा मानकर कोई कार्यवाही नहीं करती। समाज तो इसमें तब ही दखल देता है जब स्त्री की हत्या हो जाती है, वह आत्म हत्या कर लेती है या उसे कोई गंभीर चोट लगती है। इस अवस्था में पहुँचने पर स्त्री को जो हानि होती है वह तो हो ही जाती है।

आशा के मामले को ही देखिये। उसके साथ बराबर उत्पीड़न होता था और प्रतिदिन उसके ससुराल पक्ष वाले पति और उसकी बहिनें तंग करती थीं। इस दुर्व्यवहार का कारण दहेज की मांग थी। पड़ोसी अच्छी तरह से जानते थे कि आशा के साथ क्या गुजर रहा था लेकिन वे इसकी सूचना पुलिस को नहीं देते थे। एक रात, आशा को आग को समर्पित कर दिया गया और तब आशा के माता-पिता का ध्यान इस भयानक दृश्य की ओर आकर्षित हुआ। आशा के सारे शरीर के जल जाने के बाद वह मूर्च्छित हो गई। माता-पिता के आने में देरी हो चुकी थी। उन्हें सांत्वना देना बहुत मुश्किल था। आशा ने बराबर शिकायत की थी कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके माता-पिता और भाइयों ने बताया कि उसका स्थान तो पति का घर ही है और इस तरह के मसले अपने आप सुलझ जायेंगे। आशा का यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है। अगणित स्त्रियाँ इस तरह से घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं और ऐसे शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार वैवाहिक जीवन में बेरोक टोक चलते रहते हैं।

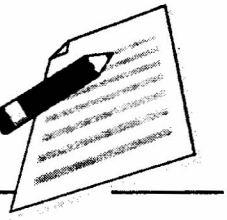

अधिकांश परिवारों में आदमी और औरत एक समान शक्ति नहीं रखते। घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। जो स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हैं वे भी स्वतंत्र रुप से फैसले नहीं ले सकतीं और तब उन स्त्रियों की स्थिति की कल्पना कीजिये जो अपने पति के अधीन हैं और जिन्हें अपने फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। समाज में यह माना जाता है कि घर में पुरुष स्वामी होता है और स्त्री अधीनस्थ। अक्सर समाज के दबाव स्त्रियों को बाध्य कर देते हैं कि वे दुर्व्यवहार को सहन करें और इस तरह परिवार के सम्मान को क्षति न पहुँचायें। यह बात भी सही है कि स्त्रियों की सहायता करने वाली संस्थाएँ जैसे कि शरण और सुरक्षा देने वाली स्वयं सेवी संस्थाएँ बहुत कम हैं जहाँ जाकर स्त्रियाँ रह सकें। घर या घर से बाहर शरण देने वाली संस्थाओं के अभाव में स्त्रियों के लिए घरेलू हिंसा बहुत बड़ा खतरा है।

घरेलू हिंसा का प्रतिकार कैसे किया जा सकता है?

- सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि घरेलू दुर्व्यवहार, मारपीट को स्त्रियों के खिलाफ अपराध की तरह समझा जाना चाहिये। इसे किसी भी स्थिति में ''व्यक्तिगत मामला'' नहीं समझना चाहिये।
- स्त्रियों को यह समझ जाना चाहिये कि घरेलू हिंसा व्यक्तिगत नहीं है और इसकी सूचना उन्हें अपने माता-पिता, मित्रों, महिला संगठनों व पुलिस को देनी चाहिये।
- घर के इस दुर्व्यवहार को परिवार की इज्जत मानकर नहीं चलने देना चाहिये। इस तरह की विचारधारा दुर्व्यवहार को अधिक गंभीर बना देगी।
- घरेलू हिंसा को कानून के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को गंभीरता से लेना चाहिये। सेक्शन 498-। जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आता है। उसमें कहा गया है कि दहेज में स्त्री का उत्पीड़न एक अपराध है। इस अधिनियम को घरेलू हिंसा और वैवाहिक निदर्यता के रूप में लागू किया जाना चाहिये।
- घरेलू हिंसा के लिये कोई एक निश्चित कानून नहीं है। घरेलू हिंसा पर प्रतिबन्ध से संबंधित बिल लाकर संसद को कानून बनाना बाकी है।

पाठगत प्रश्न 34.2

सही उत्तर चुनिये और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए:

(1) जब एक स्त्री को उसका पति अपने घर में मारता है तो प्रायः इसे ..... कहा जाता है।

(a) यौन दुर्व्यवहार
(b) घरेलू हिंसा
(c) स्त्री के खिलाफ अपराध
(d) वैवाहिक संघर्ष।

(2) घरेलू हिंसा बिल को ..... द्वारा पास किया जाता है।

(a) संसद (b) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(c) राष्ट्रीय महिला आयोग (d) महिला एवं बाल विकास विभाग।

(3) स्त्रियों के प्रति आपराधों में घरेलू हिंसा का भाग ..... प्रतिशत है।

(a) 45 (b) 43

(c) 30 (d) 59

(4) घरेलू हिंसा की निन्दा करने के लिये निम्न में से कौन सा तरीका अधिक प्रभावशाली है।

(a) परिवार में झगड़ा (b) पुलिस द्वारा दंडित करना

(c) परिवार के साथ सम्बन्ध तोड़ना (d) पड़ोसियों द्वारा कार्यवाही करना।

34.4 दहेज

दहेज प्रथा कैसे चली?

हिन्दू विवाह के रीति के अनुसार वधू के माता-पिता उसे वर के माता-पिता को सौंपते हैं। इस रिवाज को कन्यादान कहते हैं। दान का मतलब है किसी एक वस्तु को दूसरे को देना। विवाह के मामले में वधू या कन्या दान में दी जाती है। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में कहा गया है कि वह दान जिसके पीछे दक्षिणा नहीं होती अधूरा है। दक्षिणा का सामान्य अर्थ नगद धन भी देना होता है। यह दक्षिणा प्रतीक के रूप में भी यानी एक रुपया भी दिया जा सकता है। दान देना धर्म की दृष्टि से बहुत ऊँचा काम है। धीरे-धीरे इस दान देने की प्रथा को दूल्हे की उच्च जाति और उसकी प्रतिष्ठा की एक वैवाहिक कड़ी के रूप में माना जाने लगा। समय के चलते इस प्रथा का दुरुपयोग हो गया और इस दुरुपयोग को दूल्हा दहेज के रूप में लेने लगा और इस तरह धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़कर दहेज की माँग बढ़ गयी। वे लोग जो दहेज प्रथा का समर्थन करते हैं, उसके औचित्य के तर्क में कहते हैं कि दहेज एक धार्मिक क्रिया है। वास्तव में यह ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म इस तरह की असंगत बात नहीं कहेगा।

34.5 दहेज किसे कहते हैं?

लड़की के माता-पिता उसकी शादी में दूल्हे के माता-पिता या उसके परिवार को नकद या वस्तु के रूप में जो उपहार देते हैं वह दहेज है। दहेज, प्राय:, वह मांग है जिसे

दूल्हा या उसके परिवार वालों द्वारा विवाह होने के पहले धन के रूप में मांगा जाता है। विवाह की तारीख निश्चित करने से पहले जिस तरह का दहेज होगा वह तय कर लिया जाता है। अधिकांश परिवार विवाह को स्त्री के जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। लड़की के माता-पिता का किसी भी हालत में उसका विवाह कर देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। ऐसा करने के लिये कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी देने के लिये तैयार रहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वे अपना स्वाभिमान भी दे देंगे।

क्या उपहार और दहेज में कोई अन्तर है?

जब माता-पिता स्वेच्छा से किसी भी वस्तु या नकद पैसे को विवाह से पहले, विवाह के समय और विवाह के बाद अपनी लड़की को देते हैं तब इसे दहेज नहीं कहा जाता इसे केवल उपहार कहते हैं और इसे स्त्री धन कहा जाता है। इस धन का उपयोग स्त्री तब करती है जब उस पर कोई आपदा आ जाती है। सच में देखा जाय तो स्त्री को स्त्री धन देने के पीछे अतीत में यही एक उद्देश्य था।

उपहार तब तक उपहार रहता है जब तक कि उस पर स्वामित्त्व नहीं होता। अगर उसका पति या उसका परिवार उपहार पर कब्जा कर लेता है तो यह उपहार न होकर दहेज हो जाता है। यह भी सही है कि कई परिवार सत्य को छिपाने के लिये यह कहते हैं कि उन्होंने अपने दामाद को जो कुछ दिया है वह अपनी स्वयं की इच्छा से अपनी लड़की को उपहार स्वरूप दिया है। दहेज के इस छिपे हुए स्वरूप में अपने सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक आधार को अपनी लड़की के विवाह में पूरा करना निहित है। यह भी कहा जाता है कि पिता की सम्पति का एक भाग लड़की को दिया गया है।

भारत सरकार ने दहेज की प्रथा के खतरे को समझते हुए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार दहेज को परिभाषित करते हुए कहा गया है "कि यह वह सम्पति है जो विवाह को ध्यान में रखकर और विवाह संपन्न हो रहा है, ऐसा समझकर दी जाती है।" इस अधिनियम के अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध हैं। यह अज्ञेय है और इसमें संदिग्ध व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। इस तरह के अपराधी को अधिकतम दण्ड 6 माह की सजा या 5000 रु का जुर्माना किया जाता है। महिला आंदोलन के दबाव के कारण दहेज निषेध अधि नियम में 1984 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में 5 वर्ष की सजा तथा 10,000 रुपये का जुर्माना हो गया। यह भी विकल्प था कि जुर्माना दहेज के मूल्य के बराबर किया जा सकता है। वास्तव में 1984 का संशोधन कुछ नये प्रावधानों के साथ आया। इससे पहले जो 1961 का अधिनियम था उसमें कुछ सुधार कर दिये गये। 1961 के

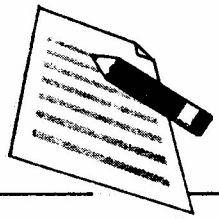

Notes

अधिनियम में निहित शिकायत एक वर्ष के अन्दर करने का प्रावधान हटा दिया गया और अब यह संभव हो गया कि लड़की के माता-पिता, रिश्तेदार, स्वयं सेवी संस्थाएँ लड़की की ओर से शिकायत कर सकते हैं। 1961 के अधिनियम के अनुसार पत्नी के पति पर मुकद्दमा सरकार की स्वीकृति से ही संभव होता था पर 1984 के अधिनियम के अनुसार दहेज मांगने वाले के विरूद्ध कार्यवाही के लिए स्वीकृति आवश्यक नहीं रही।

दहेज निषेध अधिनियम 1986 को पुन: संशोधित किया गया। अब जुर्माने की रकम बढ़ाकर 15000 रूपये कर दी गई। यदि पत्नी की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद अप्राकृतिक रूप से हो जाए तो वह भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 304 के अनुसार सजा दिए जाने योग्य अपराध माना जाने लगा।

क्या आपने देखा है कि किस तरह से दहेज अधिनियम कानून में परिवर्तन आये हैं? इस परिवर्तन के कारण यह होना चाहिये कि दहेज के कारण मौत की संख्या में कमी होनी थी। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। आज दहेज की शिकार और उससे जुड़े हुए उत्पीड़न के कारण दहेज मृत्यु अधिक हो रही हैं। भारत में प्रति दो घण्टों में दहेज के कारण एक मृत्यु होती है। दहेज तो एक ऐसी प्रथा हो गयी है जिसके अनुसार पत्नी को उसके जीवन भर ससुराल की मांगों को पूरा करना पड़ता है। दूल्हा कुछ भी मांग सकता है- नकद, जवाहरात, मकान, गाड़ी, विदेश जाने के लिये हवाई टिकिट विभिन्न प्रकार के उपयोग की वस्तुओं की मांग और कुछ भी। उपभोक्तावाद के बढ़ने के कारण दूल्हे को ज्यादा से ज्यादा धन चाहिये। पुरुष-प्रधान परिवार में लड़की के माता-पिता की दहेज के नाम पर आये दिन कुछ न कुछ देना पड़ता है और इस तरह उसका वित्तीय बोझ बढ़ता ही जाता है।

यह सब भुगतान करने के बाद क्या आप समझते हैं कि लड़की के माता-पिता उसे प्रसन्न मानते हैं? उसे लगातार अधिक दहेज लाने के लिये प्रताड़ित किया जाता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती तो उसे मारा-पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है और यहाँ तक कि जान से मारा जा सकता है। इस आशा में कि अपनी लड़की खुश रहेगी, माता-पिता दहेज की मांग के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन यह सब कब तक? क्या उनके कोई अन्य उत्तरदायित्व नहीं हैं? इसलिये वे अपनी लड़की की उपेक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। उसे यह सलाह देते हैं कि वह प्रताड़ना के साथ समझौता कर ले। जब लड़की मर जाती है या उसे मार दिया जाता है तब माता-पिता समझते हैं कि उन्होंने एक गलती कर दी।

यद्यपि दहेज की समस्या को या उससे जुड़ी हुई हिंसा को खूब उछाला गया है, फिर भी, इसे रोकने का प्रयास सफल नहीं हुआ है। कठिन कानून के होते हुए भी निरपराध लड़कियों और स्त्रियों को उन लोगों पर छोड़ दिया जाता है जो दहेज के लोभी हैं। कई माता-पिता और उनकी लड़कियाँ दहेज के विरोध में खड़े नहीं होते और इस प्रथा के सामने अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि कानून को लागू करने वाले अधिकारी भी पितृसत्तात्मक मूल्यों से मुक्त नहीं हैं। केवल कुछ मसलों को छोड़कर जिनका तार्किक निदान करना होता है दहेज से जुड़ी हुई हिंसा में कोई कार्यवाही नहीं की जाती। हमारे सामाजिक मूल्यों पर वास्तव में यह एक दुखद टिप्पणी है। भारत जैसा समाज जिसमें हम स्त्रियों का आदर करने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उसमें दहेज जैसी अमानवीय प्रथा किस भाँति फल-फूल रही है। यह समझना आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस सामाजिक बुराई का विरोध कमर कस के करें।

दहेज के खिलाफ प्रदर्शन

गतिविधि 1 : क्या आपने अपने पड़ोस में दहेज प्रताड़ना या दहेज मृत्यु की घटना को स्वयं देखा है?

गतिविधि 2 : किसी महिला संगठन को देखिये, जो कि दहेज प्रताड़ित लोगों के लिये काम करती है। अपने अनुभव को 20 वाक्यों में लिखिये।

पाठगत प्रश्न 34.3

बताइये कि निम्न कथन सही है या गलत

(1) दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ है। (सही/गलत)

(2) 1986 में पारित दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के बीच में हो जाय तो अपराधी को कानून के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। (सही/गलत)

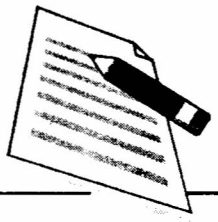

Notes

(3) दहेज की तुलना उपहार से की जा सकती है। (सही/गलत)

(4) दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दहेज लेने व देने वाले दोनों अपराधी हैं। (सही/गलत)

34.6 यौन उत्पीड़न

यौन उत्पीड़न के कई स्वरूप हैं। एक स्त्री को उसके काम की जगह पर उत्पीड़ित किया जा सकता है या उसे घर या गली कूचे में परेशान किया जा सकता है। नीचे के भाग में हम यौन उत्पीड़न के दो महत्वपूर्ण स्वरूपों का विवेचन करेंगे। (1) बलात्कार, और (2) काम के स्थान पर उत्पीड़न।

34.6.1 बलात्कार

बलात्कार वह क्रिया है जिसमें बलपूर्वक स्त्री के साथ लैंगिक अन्त: क्रिया की जाती है और जो उसकी इच्छा के विपरीत होती है। किसी भी अवयस्क लड़की के साथ उसकी बिना स्वीकृति अथवा सहमति के यौन सम्बन्ध रखे जाते हैं या किसी औरत के साथ धमकाकर जब यौन सम्बन्ध रखा जाता है तब इसे बलात्कार कहते हैं।

बलात्कार के कारण क्या हैं? कई शताब्दियों से सभी समाजों में यौन उत्पीड़न को स्त्रियों को दबाने और परेशान करने का साधन समझा जाता रहा है। क्योंकि स्त्रियों को यह भय बना रहता है कि उस के शरीर पर आक्रमण किया जा सकता है और उसकी तरक्की को रोका जा सकता है। इस भाँति आदमी बलात्कार को बदला लेने का एक अच्छा साधन समझता है। बदला लेने का उद्देश्य स्वयं स्त्री हो सकती है, इसका परिवार या पुरुष नातेदार हो सकते हैं। उच्च जातियों, सामन्तों व राजनीतिक नेताओं जैसे लोगों द्वारा गिरोह के रूप में स्त्रियों के साथ दुराचार किये जाने की घटनाएँ सामान्यत: घटित होती हैं।

क्या आपने राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भँवरी देवी, के बारे में सुना है? वह अपने गाँव में बाल विवाह के खिलाफ लड़ रही थी और ऐसा करते हुए वह ऊँची जाति के भू-स्वामियों की कोप-भाजन बन गयी। अपने पति की उपस्थिति में पाँच व्यक्तियों के गिरोह द्वारा खेत में काम करती हुई उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। यद्यपि उसने बलात्कार करने वाले व्यक्तियों का नाम दिया लेकिन स्थानीय पुलिस और अदालत ने इन बलात्कारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और भँवरी देवी का यह मुकदमा जिला न्यायालय में पहुँच गया। यह सब जयपुर में हुआ। फिर यहाँ जिला न्यायालय में क्या हुआ, अदालत ने क्या कहा: "इसे मानना असंभव है कि
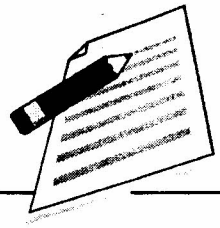
50-60 की उम्र समूह के ऊँची जातियों के आदमी एक दलित औरत के साथ बलात्कार कर सकते हैं?'' लेकिन भँवरी देवी बहुत साहसी औरत है और वह अब भी महिला संगठनों की सहायता से न्याय के लिये गुहार कर रही है।

आज के समय में बलात्कार की घटनाएँ भयप्रद रूप से बढ़ रही हैं। यह एक चौंकाने वाली बात है लेकिन सही है कि कई स्त्रियाँ जब पुलिस थाने में अपनी शिकायत करने गयी हैं तो पुलिस वालों ने स्वयं इनका बलात्कार किया है। इस सम्बन्ध में मथुरा जेल में 16 वर्ष की आदिवासी लड़की के साथ पुलिस कस्टडी में जो बलात्कार हुआ उसके लिये महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने बहुत हो-हल्ला मचाया। धार्मिक रुढ़िवादियों ने भी इसे साम्प्रदायिकता का जामा पहनाया। इसकी वजह से कई बार साम्प्रादायिक संघर्ष पैदा होते हैं। क्या आप यह विश्वास करेंगे कि परिवार जिसे सुरक्षित स्वर्ग कहते हैं वह सुरक्षित सिद्ध नहीं होता। घर के लोगों में से ही पुरुष नातेदार किशोर लड़कियों का बलात्कार करते हैं।

बलात्कार न केवल शरीर को नुकसान पहुँचाता है लेकिन गंभीर शारीरिक दर्द भी देता है और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ भी पैदा करता है। बलात्कार की शिकार स्त्रियाँ लम्बे या छोटे अन्तराल के लिये चोट सहती हैं। यदि बलात्कार का शिकार कोई एक बच्ची या किशोर होती है (क्या आप विश्वास करेगें कि छोटी बच्चियों का भी बलात्कार होता है) तो वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो कुछ इस उम्र में लड़की के साथ हो रहा है वह बाद में चलकर वयस्क अवस्था में उसके लिये हानिकारक हो सकता है। इस लड़की के साथ में जो मनोवैज्ञानिक वेदना होती है वह उसके जीवन काल तक चलती रहती है।

बलात्कार की जो घटनाएँ बढ़ रही हैं वे देश में सनसनी पैदा करती हैं। लेकिन आप बलात्कार का मुकाबला कैसे करते हैं? भारत में 1860 में पहली बार बलात्कार का कानून बना था। बाद के पूरे 123 वर्षों तक यानी 1983 तक यह कानून बिना किसी परिवर्तन के चलता रहा। बलात्कार के विरोध में जो कानून बना वह स्त्रियों के खिलाफ था। इसका संशोधन जब 1983 में हुआ तब तक बलात्कार की पीड़िता को बिना किसी शक के यह सिद्ध करना होता था कि उसने यौन सम्बन्ध की कोई रजामंदी नहीं दी थी। अदालत केवल गंभीर चोट को ही तथ्य के रूप में मानती है। मथुरा के बलात्कार के मुकदमें का उल्लेख जो हमने पहले किया है उसमें जो पुलिसवाले उत्तरदायी थे उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन इस तरह के फैसले का जो विरोध हुआ उससे बलात्कार के कानून में परिवर्तन की मांग को बल मिला। बलात्कार कानून में 1983 का जो संशोधन हुआ वह दो क्षेत्रों में था:

(1) हिरासत में किया गया बलात्कार अपराध है, और

(2) हिरासत में किये गये अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष की न्यूनतम जेल और सामूहिक बलात्कार, गर्भवती स्त्री का बलात्कार और 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार करने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

बलात्कार के सिलसिले में 1983 में अदालत ने जो फैसला दिया उसके अन्तर्गत बलात्कार से प्रताड़ित महिला को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने यह कहा कि जैसी स्थिति हमारे देश में हैं इसके अनुसार स्त्री के लिये यह प्रमाण देना कि उसने बलात्कार का विरोध किया है यह बताना उसके घाव पर नमक छिड़कने के समान है। अब उसे यह बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय साक्ष्य (संशोधन) बिल 2002, जिसने 1872 के मूल अधिनियम में से दो धाराओं को हटा दिया है, इस बात को स्पष्ट करता है कि बलात्कार का शिकार सामान्यतया अनैतिक चरित्र का व्यक्ति है।

न्यायपालिका की क्रियात्मकता पर जोर देने वाले 1983 के संशोधान के अनुसार बलात्कार के कानून में आज भी बलात्कार से पीड़ित होने वाली स्त्रियाँ न्यायालय के सामने नहीं आती हैं और इसलिये इसकी कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिलती। कोर्ट के सामने नहीं आने का कारण यह है कि इसके साथ में एक सामाजिक कलंक लगा हुआ है और स्त्रियाँ इससे बचने की कोशिश करती हैं। इधर जनता में भी यह जागरूकता नहीं है कि बलात्कार जैसे अमानवीय घटनाओं का विरोध करें।

बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन

बलात्कार स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। बलात्कार से यह भय बना रहता है कि स्त्रियाँ सामाजिक गतिशीलता की महत्वाकांक्षा नहीं रख पाती। माता-पिता भी अपनी लड़कियों को जीवन के ऊँचे मूल्यों को प्राप्त करने के लिये प्रेरित नहीं करते। लैंगिक समानता के प्रयास भी स्त्रियों के साथ यौन दुर्व्यवहारों के बिना रोक-टोक चलते रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

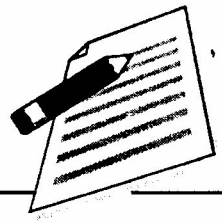

34.6.2 कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार

बलात्कार एक ऐसा यौन-उत्पीड़न है जो आसानी से ध्यान में आ सकता है। लेकिन यौन दुर्व्यवहार का एक ऐसा स्वरूप भी है जो अब तक किसी को मालूम नहीं था और किसी ने इसकी चिन्ता भी नहीं की। इसका तात्पर्य मारपीट और दुर्व्यवहार से है जिसे स्त्री अपने काम के स्थान पर अनुभव करती है। चाहे काम का यह स्थान दफ्तर हो या खेती बाड़ी का स्थान। यह आज की बात नहीं है सैकड़ों वर्षों से स्त्रियों को अपने कार्य स्थल पर खुले या गुप्त रूप से दुर्व्यवहार सहन करना पड़ा है। लेकिन किसी कानूनी सुरक्षा के अभाव में या आर्थिक दबाव के कारण स्त्रियों को यह दुर्व्यवहार सहन करना पड़ता है। कार्य स्थल पर होने वाला उत्पीड़न स्त्रियों के लिये यदि असहनीय है तो स्त्रियों को अपने घर से बाहर काम करने के लिये नहीं आना चाहिये। अगर स्त्री अपने सम्मान के लिये इतनी गंभीर है तो वह घर के अन्दर ही रहे।

यह 1997 की बात है कि देश की स्त्रियों को अन्त में एक मंच मिल गया जहाँ वे यौन उत्पीड़न के लिये न्याय प्राप्त कर सकें। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कार्य स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित पाँच प्रकार के व्यवहारों के घटित होने का उल्लेख किया है:

- शारीरिक सम्पर्क और यौन आचरण हेतु कुछ सुझाव देना।
- धमकाना अथवा यौन सम्बन्धों के लिये अनुग्रह करना।
- यौन सम्बन्धी भाषा का प्रयोग करना।
- अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना।
- कोई भी ऐसा शरीरिक और मौखिक कार्य जिसके अन्तर्गत अनचाहे यौन सम्बन्धी तत्व या तथ्य शामिल हों।

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नियोजकों को चाहे संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित, यह आदेश दिया है कि वे यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण रखने के लिये एक कमेटी बनायें। इस कमेटी का कार्य यह होगा कि वह, यौन उत्पीड़न के सभी मामलों पर ध्यान रखे और उचित कार्यवाही करे। इस प्रावधान के होते हुए भी आज भी कई संगठनों ने ऐसी कमेटियाँ नहीं बनायी हैं और न स्त्री कामगर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं। यह भी सत्य है कि उचित प्रमाण के अभाव में कई मामले समाप्त हो जाते हैं। इतना होने पर हमें संतोष है कि कई यौन उत्पीड़न की घटनाओं के मामलों में कानून के प्रावधान के अन्तर्गत न्याय की आशा की जा सकती है।

Notes

34.7 वैधव्य

परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में वैधव्य को एक अशिभाप समझा जाता था और उन्हें परिवार और विशद् समाज में कोई आनंद या प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। एक विधवा अपवित्र समझी जाती थी और उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। विधवा वास्तव में सामाजिक और भौतिक पृथकता में रहती थी। यह इसलिये कि उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। इस अवस्था में विधवाओं का भविष्य धूमिल हो गया था। यह 1856 की बात है कि जब बहुत बड़े सामाज सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून को स्वीकृति मिल गयी। कानून के होने पर भी समाज ने इस अधिनियम को लागू नहीं किया। लेकिन विधवाओं के प्रति प्राचीन सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आया है।

वैधव्य के साथ जो सामाजिक दाग लगा है उसमें कमी आयी है। यह इसलिये कि कम उम्र की विधवाएँ पुनर्विवाह कर रही हैं। इसका यह मतलब न समझा जाये कि उनकी सभी समस्याएँ समाप्त हो गयी हैं। यहाँ यह मतलब नहीं है कि सभी विधवाओं को विवाह के बाद साथी मिल गये हैं। यह भी संभव है कि एक विधवा अकेली भी रह सकती है।

जब एक विधवा आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होती है तब उसके परिवार के सदस्यों द्वारा ही उसका शोषण हो जाता है। इस शोषण का कारण पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्से में आनाकानी करना तथा उसके गुजारे की जिम्मेदारी वहन करने हेतु मना करना हो सकता है। आजकल एकाकी परिवार होने की वजह से विधवाओं की समस्याएँ और भी बढ़ गयी हैं। अगर उनके पास अपने जीवन-यापन हेतु आर्थिक स्त्रोत नहीं है तब उनके सामने जीवित रहने का संकट भी उपस्थित हो जाता है। स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। इनमें से बहुत सी विधवाएँ हो सकती है जिनके लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का नितांत अभाव है तथा दूसरी तरफ परिवार का समर्थन नहीं मिल पाने के कारण एक स्थिति उभर कर सामने आ रही है जिससे विधवाओं को भविष्य में अनेक समस्याओं का समाना करना पड़ेगा।

यह सही है कि बड़े शहरों और यहाँ तक कि छोटे कस्बों में भी स्वैच्छिक संस्थाओं ने वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं के लिये 'ओल्ड एज होम' बनाये हैं। ये संस्थाएँ भोजन, निवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि प्रदान करती हैं। लेकिन इन सेवाओं के लिये आर्थिक स्त्रोतों का होना आवश्यक है। विंधवाएँ स्वयं आर्थिक साधन जुटा नहीं सकतीं पर बिना किसी शुल्क लिये ये सेवाएँ दी भी नहीं जा सकतीं। विधवाओं को जीवन पर्यन्त मुफ्त सेवा देना सदा सम्भव नहीं है। सरकार ने वृद्ध महिलाओं की सहायता के लिये बहुत

Notes

कुछ किया है लेकिन समस्या की गंभीरता को देखते हुए ये सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। विधवाओं को केवल पेंशन देकर के अथवा बस या रेल के पास देकर समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाँवों में विधवाओं की समस्या अधिक जटिल है। यह संभव है कि ग्रामीण स्त्रियों के अनुभव के आधार पर गाँव में साझी रसोई सेवा ली जा सकती है। बच्चों की देखभाल करने के लिये साझे सहायता समूह बनाये जा सकते हैं। इस तरह से विधवाओं का सशक्तिकरण करके सामाजिक कार्यों में उन्हें भागीदार बनाया जा सकता है और आसपास रहनेवाली वयस्क स्त्रियों व लड़कियों को भी सशक्त किया जा सकता है। विधवाओं की समस्या ऐसी नहीं है जिसे किसी एक कार्यक्रम द्वारा सुलझाया जा सके। इसको बृहद् संदर्भ में देखना चाहिये और ऐसा करके ही उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 34.4

निम्न प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिये:

(1) भारत में बलात्कार का पहला कानून कब बना था?

(2) हिरासत में किया गया बलात्कार क्या है?

(3) उस मुकदमे का उल्लेख कीजिये जिसमें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया था?

(4) विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था?

गतिविधि 3 : अपने पड़ोस के वृद्धाश्रम को देखिये और वहाँ रह रही स्त्रियों से बात कीजिये। आपकी बातचीत के परिणाम से आपको जो कुछ ज्ञात होता है उसे 350 शब्दों में लिखिये और वृद्धों की समस्याओं को बताइये (अध्ययन केन्द्र को यह देखना है कि विद्यार्थी गतिविधि से सीखना प्रारंभ करें। सीखने का यह कार्यक्रम अध्यापक द्वारा मार्गदर्शित हो।

आपने क्या सीखा

- स्त्रियाँ अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में घर और घर से बाहर अनेक समस्याओं का सामाना करती हैं?

- स्त्रियों की प्रस्थिति में अनेक निषेधात्मक तत्वों का सामना करना पड़ता है। ये निषेधात्मक प्रभाव हैं: बालिका भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, दहेज, यौन उत्पीड़न और वैधव्य।
- शिशु भ्रूणहत्या, बालिका शिशु हत्या आदि के कारण 0-6 की उम्र समूह में लड़कियों की संख्या घट रही है।
- यद्यपि घर स्त्रियों के लिये सुरक्षित स्थान समझा जाता है फिर भी कई प्रकार के यौन दुर्व्यवहार जैसे कि पीटना, बुनियादी अधिकारों का निषेध, विवाह उत्पीड़न, दहेज, मृत्यु और घर में जबरदस्ती बिठाये रखना, सब घर में ही होते हैं।
- स्त्रियों पर होने वाले अपराधों में लगभग 30 प्रतिशत घरेलू हिंसा या मारपीट से जुड़ी हुई हैं।
- क्योंकि घरेलू हिंसा घर में होती है अत: इसे सामान्यतया परिवार का झगड़ा या एक गलत फहमी समझा जाता है।
- सुरक्षित आवास अथवा वृद्धाश्रम कई विधवाओं को मजबूर करते हैं कि वे दमनात्मक परिवार से निकल आयें।
- यद्यपि दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ और 1984 तथा 1986 में इसमें संशोधन किये गये फिर भी दहेज से जुड़ी हिंसा में वृद्धि हो रही है।
- बलात्कार, किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित करने की क्रिया है जिसके लिये कम से कम 7 वर्ष की जेल के दंड दिये जाने का प्रावधान है। अगर यह हिरासत में किया गया बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार और गर्भवती महिला से बलात्कार अथवा 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया बलात्कार है तो इसके लिये कम से कम 10 वर्ष की जेल के दण्ड का प्रावधान है।
- वह दुर्व्यवहार या मारपीट जिसे स्त्रियाँ अपने कार्य स्थल पर सहन करती हैं उसे यौन उत्पीड़न कहते हैं। इसके लिये जो दण्ड दिया जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के फैसले के अनुसार दण्डनीय है।
- हाल की स्थिति में विधवाओं की दशा में निश्चित परिवर्तन हुए हैं लेकिन वे विधवाएँ जिनके पास पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक सहायता नहीं है इन समस्याओं का मुकाबला करती रहेंगी।
- कानूनों को कठोरता से लागू करना, हृदय परिवर्तन, और सामाजिक तथा अर्थिक सुरक्षा यदि स्त्रियों को दी जाये तो इससे उनकी समस्याओं का बहुत बड़ी सीमा तक निदान हो सकता है।

Notes

शब्दावली

1. **हिरासत में किया गया बलात्कार :** पुलिस थाने में औरत/लड़की के साथ किया गया बलात्कार।
2. **घरेलू दुर्व्यहार :** शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार, जिसे स्त्रियाँ घर में सहन करती हैं।
3. **दहेज :** उपहार, नकद या वस्तु के रूप में वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को मांगने पर दिया जाता है।
4. **भ्रूण हत्या :** वह गतिविधि जिसके द्वारा स्त्री के भ्रूण का गर्भपात किया जाता है।
5. **बालिका शिशु हत्या :** कन्या को जन्म के तुरन्त बाद मार दिया जाता है।
6. **बलात्कार :** यह एक प्रकार का यौन उत्पीड़न है इसमें स्त्री की स्वीकृति के बिना पुरुष यौन अन्त: क्रिया करता है। एक अल्पायु की लड़की के साथ उसकी स्वीकृति से किया गया बलात्कार भी दण्डनीय है।
7. **कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न :** के साथ पुरुष द्वारा उस के कार्य स्थल पर शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करना।
8. **लिंग निर्धारण परीक्षण :** भ्रूण के लिंग को माँ के गर्भ में ही पहचानने विषयक परीक्षण।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

34.1

(i) 1994 (ii) बालिका भ्रूण हत्या

(iii) बाल लिंग अनुपात (iv) लाखों गुमनाम

34.2

(1) घरेलू दुर्व्यवहार

(2) संसद

(3) 30

(4) पड़ोसियों द्वारा की गयी कार्यवाही

Notes

34.3

(1) गलत

(2) सही

(3) गलत

(4) सही

34.4

(1) 1860

(2) पुलिस हिरासत में किया गया बलात्कार

(3) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

(4) 1856